

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/ 2020/666

दिनांक:- 01/10/2020

### कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित विभिन्न आवासीय योजनाओं में अधिशेष आवासों/फ्लेटों को त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए लागत में राहत प्रदान करने हेतु मण्डल की समस्त योजनाओं में ई-ऑक्शन/बुधवार नीलामी के पश्चात् शेष बचे आवासों/फ्लेटों जिनको ई-बिड-सबमिशन में सम्मिलित किया गया था। उन सभी अधिशेष आवासों/फ्लेटों जिनकी लागत वैधता दिनांक 30-06-2020 तक निर्धारित की गयी थी। उनकी वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्धारित की गयी लागत दरों को कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए सभी अधिशेष आवासों/फ्लेटों की लागत वैधता कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/212 दिनांक 02-07-2020 के द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ायी गयी थी।

मण्डल के संचालक मण्डल की 243 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21-09-2020 में निर्णय की कार्यान्वयन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 243.07 रखा गया। बैठक में प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवास/फ्लेट जिनको आमजन को किराया क्रय पद्धति में आवंटन/निस्तारण हेतु ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित किया गया था उनमें से शेष बचे आवास/फ्लेटों की लागत फ्रीज करने हेतु लिए निर्णय की पालना में कार्यान्वयन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।



(पवन अरोड़ा)  
आवासन आयुक्त

### प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... राजस्थान आवासन मण्डल, .....
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-.....; रा0आ0म0, .....
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



-मुख्य सम्पदा प्रबंधक